न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारीः—श्री दिनेश विश्नोई आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :— 101/2023

प्रार्थीगणः—

1. हरि किशन पुत्र वीरमाराम
2. भागीरथ विश्नोई पुत्र वीरमाराम
   जाति विश्नोई निवासी फुलण तहसील समदड़ी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः—

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—
1. श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

—:: आदेश ::— दिनांक :—24.08.2023

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 323/164 रकबा 2.1448 हैक्टेयर ग्राम फूलण तहसील तहसील समदड़ी में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करते आ रहें है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात—यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, एस.बी.आई बैंक डायरी व शैक्षणिक प्रमाण पत्र में उनके वास्तविक नाम हरिकिशन व भागीरथ विश्नोई ही दर्ज है, किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश प्रार्थीगण के नाम हरिकिशन के स्थान पर 'हरकनराम' व भागीरथ विश्नोई के स्थान पर 'भाखरराम' लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे है। अतः प्रार्थीगण ने राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। विप्रार्थी ने प्रार्थीगण के वास्तविक नामों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड प्रस्तुत किये।

दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि उनके वास्तविक नाम हरिकिशन एवं भागीरथ विश्नोई है, किन्तु विवादित भूमि का विक्रय पत्र लिखवाने के दौरान उनके पिता द्वारा उनके बाल्यावस्था में बोलचाल में प्रयुक्त संबोधन वाले नाम क्रमशः हरकनराम व भाखरराम लिखवा दिये जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में भिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी योजनाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहें है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेनकार्ड आदि दस्तावेजात में उनके नाम हरिकिशन एवं भागीरथ विश्नोई दर्ज है,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.09.08 15:27:21 IST
Reason: SelfAttested

किन्तु विवादित भूमि में बतौर वारिस प्रार्थीगण के पिता वीरमाराम द्वारा उनके नाबालिग काल में करवाये गये बेचानपत्र में बोलचाल में प्रयुक्त नाम दर्ज करवाने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थीगण के वास्तविक नाम हरिकिशन एवं भागीरथ विश्नोई होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम फुलण तहसील समदड़ी की खसरा संख्या 323/164 रकबा 02.1448 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम 'हरकनराम' के स्थान पर 'हरिकिशन' व 'भाखरराम' के स्थान पर 'भागीरथ विश्नोई' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदड़ी को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 24.08.2023 को सरे इजेलास में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * सिवाना (बाड़मेर) *

(दिनेश विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.09.08 15:27:21 IST
Reason: SelfAttested